1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) ऐक्ट

{संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0 39, वर्ष 1948 ई0}

THE UNITED PROVINCES ACQUISITION OF PROPERTY (FLOOD RELIEF) ACT, 1948

[U. P. ACT No. XXXIX OF 1948]

1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) ऐक्ट[1]

{संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0 39, वर्ष 1948 ई0}

उत्तर प्रदेश ऐक्ट नं0 36 वर्ष 1952 द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन ऑफ लॉ आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रमशः 22 अक्टूबर, वर्ष 1948 ई0 तथा 05 नवम्बर, वर्ष 1948 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया

दिनांक 09 दिसम्बर वर्ष 1948 ई0 को गर्वनर ने भारतीय (अस्थायी विधान आदेश वर्ष 1947 ई0) द्वारा अवस्थानुकूल परिवर्तित भारत–शासन–विधान वर्ष 1935 ई0 की धारा 75 के अधीन स्वीकृति प्रदान की और संयुक्त प्रान्तीय शासकीय असाधारण गजट में दिनाँक 13 दिसम्बर वर्ष 1948 ई0 को प्रकाशित हुआ।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में लोगों को तुरन्त सहायता पहुँचाने के निमित्त अधिकारों की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है –

प्रारम्भिक

क्योंकि {***}[4] यह आवश्यक है कि {बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में क्षति प्राप्त लोगों के सहायतार्थ इमारती स्थान तथा इमारती सामान को तुरन्त अधिकृत और हस्तगत करने के लिए अधिकारों की व्यवस्था की जाये।}[5]

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–– (1) इस अधिनियम का नाम {उत्तर प्रदेश}[2] सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) {***}[6] अधिनियम, 1948 होगा।

(2) यह {उत्तर प्रदेश}[2] के बनारस, गाजीपुर, बलिया, मुरादाबाद, बरेली, बदायूँ फर्रूखाबाद, कानपुर, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर और उन्नाव जिलों में लागू होगा, किन्तु {राज्य सरकार}[3] गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इसे अन्य क्षेत्रों पर भी {लागू}[8] कर सकती है।

(3) यह तुरन्त लागू होगा {***}[7]

(क) इस ऐक्ट के गत काल के किसी प्रभाव पर या किसी बात पर, जो इसके अधीन नियमित रूप से की गई हो या किसी हानि या दायित्व पर, जो उठानी पड़ी हो;

(ख) किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आधार या दायित्व पर, जो इस ऐक्ट के अधीन प्राप्त हुआ हो, अवाप्त हुआ हो या उत्पन्न हुआ हो; या

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनाँक 16 अक्टूबर, 1948 का गजट देखिये।
2. एडेप्टेशन ऑफ लॉ आर्डर, 1950 द्वारा 'संयुक्त प्रान्त' के लिए प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त द्वारा 'प्रान्तीय सरकार' के लिए प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 36, 1952 की धारा 2 (क) द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 3 (क) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा निकाला गया।
8. सरकारी विज्ञप्तियों की संख्या 4251(1) आई0एस0दिनांक 31 जनवरी, 1949, 1043/आई0एस0–7–49 दिनांक 24 मार्च, 1949, 1316 आर/आई एस–100–50 दिनांक 28 सितम्बर, 1950 और 1691/आई0एस0 100–50 दिनांक 7 मई, 1951 के द्वारा बांदा, हरदोई, मेरठ, आजमगढ़, रायबरेली, बाराबांकी, बहराइच, गौंडा, अल्मोड़ा, देहरादून, जौनपुर और बिजनौर जिलों के लिए और विस्तारित किया गया ।

(ग) उपर्युक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आधार या दायित्व से सम्बन्धित किसी वैधानिक कार्यवाही या उपचार पर और ऐसी कोई वैधानिक कार्यवाही या ऐसा कोई वैधानिक उपचार, उसी प्रकार किया जाएगा, जारी रखा अथवा लागू रहेगा, मानो कि यह ऐक्ट समाप्त नहीं हुआ हो।

परिभाषाएं

2–– इस ऐक्ट में, जब तक कोई बात विषय अथवा संदर्भ के विपरीत न हो –

(क) ''इमारती सामान'' में ईट, लकड़ी, मांस, मिट्टी चूना, सीमेन्ट, लोहा और इस्पात और घरों के निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सामान सम्मिलित है;

(ख) ''प्रतिकर अधिकारी'' और ''अधिकृत करने वाले अधिकारी'' से जिले के कलैक्टर अभिप्रेत है और कलैक्टर द्वारा नियुक्त किए गए प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलैक्टर से है :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वही अधिकारी एक ही मामले में अधिकृत करने वाला अधिकारी और प्रतिकर अधिकारी न होगा;

(ग) ''लैण्ड–होल्डर'' जमींदार, 'टेनेन्ट' (असामी), 'रेन्ट' (लगान) और 'सायर' के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट, सन् 1939 ई0 में दिए गए हैं;

(घ) ''व्यक्ति, जिसका हित हो'' में ऐसे समस्त व्यक्ति सम्मिलित है, जो इस ऐक्ट के अधीन भूमि के अधिकृत अथवा हस्तगत किए जाने के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर में अपने हित का दावा करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका भूमि में हित है, यदि उसका हित उस सुखाधिकार (ईजमेण्ट) में हो, जिसका प्रभाव उस भूमि पर पड़ता हो;

सं0प्रा0 ऐक्ट सं0 17, वर्ष 1939 ई0

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इमारती सामान के सम्बन्ध में ''व्यक्ति'', जिसका हित हो, से ऐसे इमारती सामानों के ''स्वामी'' अभिप्रेत है;

(ङ) {''प्रान्तीय सरकार''}[1] से {संयुक्त प्रान्त की सरकार}[2] अभिप्रेत है; और

(च) ''सार्वजनिक प्रयोजन'' से बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए गाँवों में स्थान अथवा घरों की मरम्मत अथवा उनके निर्माण की व्यवस्था अभिप्रेत है।

अधिकृत करने की कार्यविधि

3–– यदि अधिकृत करने वाले अधिकारी के मत में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आज्ञा द्वारा किसी भूमि अथवा इमारती सामान को, उसके स्वामी और उसके उपयोग करने वाले व्यक्ति पर इस आशय का नोटिस देकर कि अधिकृत करने वाले अधिकारी ने इस धारा के अनुसार ऐसी भूमि अथवा ऐसे इमारत सामान को अधिकृत करने का निश्चय कर लिया है, अधिकृत कर सकता है तथा वह ऐसी अन्य आज्ञा दे सकता है, जो उसे अधिकृत करने के सम्बन्ध में आवश्यक या उचित प्रतीत हो। इसके अन्तर्गत ऐसे आदेश हो सकते हैं, जो किसी व्यक्ति के उस भूमि पर खड़े हुए किसी पेड़ों और अन्य उपजों के बेचने उनको अधिकार में रखने और उपयोग करने से सम्बन्ध रखते हों। जब भूस्वामी अथवा उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति आसानी से न मिल सके या जब भूमि अथवा इमारती सामान को मिलकियत या उनके उपयोग सम्बन्धी कोई झगड़ा हो या जब उन व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, जो उनके स्वामी हो या उन पर अधिकार रखते हों या जब उन व्यक्तियों की संख्या में ध्यान में रखते हुए, अलग–अलग नोटिस की तामील न की जा सकती हो तो ऐसी नोटिस उस विधि से प्रकाशित कराई जाएगी, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाय।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा 'संयुक्त प्रान्त' के लिए प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त द्वारा 'प्रान्तीय सरकार' के लिए प्रतिस्थापित।

अधिकृत की गई भूमि का उपभोग

4–– उस दशा में जब कोई भूमि अथवा सामान धारा 3 के अन्तर्गत अधिकृत किया जाय तो अधिकृत करने वाला अधिकारी उसे इस प्रकार उपभोग में ला सकता है, जो उसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उचित और आवश्यक प्रतीत हो।

अधिकृत करने वाले अधिकारी के अधिकार

5––(1) अधिकृत करने वाला अधिकारी धारा 3 के अधीन किसी भूमि अथवा इमारती सामान की अधिकृत करने या उसके लिए, प्रतिकर नियत करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को यह आज्ञा दे सकता है कि –

(क) वह उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट अधिकारी को उस सम्पत्ति के विषय में आज्ञा में वर्णित ऐसी समस्त बातों की सूचना दें, जो उसकी जानकारी में हो; और

(ख) उस भूमि अथवा इमारती सामान का स्वामी या उसका उपभोग या अधिकार रखने वाला व्यक्ति, उक्त आज्ञा देने वाले अधिकारी (Authority) की अनुमति के बिना उस भूमि अथवा इमारती सामान को ऐसी अवधि के समाप्त होने तक नहीं बेचेगा, जो उक्त आज्ञा में बताई गई हो।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति या अधिकारी (Authority), जो अधिकृत करने वाले अधिकारी (रिक्वीजिशनिंग अथॉरिटी) द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो, यह निश्चय करने के उद्देश्य से कि उक्त भूमि अथवा इमारती सामान के सम्बन्ध में धारा 3 के अन्तर्गत कोई आज्ञा दी जानी चाहिए या नहीं और यदि दी जानी चाहिए तो किस प्रकार या धारा 3 के अधीन दी गई किसी आज्ञा का पालन करवाने के लिए, किसी भूमि में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

प्रतिकर का भुगतान

6–– (1) जब कोई भूमि धारा 3 के अन्तर्गत अधिकृत की गई हो तो प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका उसमें हित हो, ऐसा प्रतिकर दिया जाएगा, जो ऐसे व्यक्ति और भूमि अधिकृत करने वाले अधिकारी के बीच लिखित रूप में नीचे लिखी बातों के सम्बन्ध में निश्चित की जाय–

(क) ऐसी भूमि का अधिकृत करना; और

(ख) कोई ऐसी क्षति, जो प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति के अतिरिक्त अधिकृत करने की अवधि में से भूमि को पहुँची हो।

(2) जब कोई ऐसा समझौता न हो सके तो अधिकृत करने वाला अधिकारी (रिक्वीजिशनिंग अथॉरिटी) उस मामले को अपने इस अभिस्ताव (रिकमन्डेशन) के साथ कि प्रतिकर (हानिपूर्ति) की धनराशि कितनी होनी चाहिए और वह किन कारणों से दी जानी चाहिए, प्रतिकर अधिकार (कम्पेन्सेशन ऑफिसर) इस सम्बन्ध में नियत किए गए दिनाँक पर या किसी अन्य स्थगित किये हुए दिनाँक पर ऐसे व्यक्ति के कथन को सुनेगा और ऐसी अधिक जाँच के बाद, जो वह उचित समझे प्रतिकर की धनराशि निश्चित करेगा और वह धनराशि, सिवाय उस दशा के, जो धारा 11 में बताई गई है, अन्तिम और निर्णयात्मक होगी।

(3) प्रतिकर अधिकारी (कम्पेन्सेशन ऑफिसर) प्रतिकर की धनराशि निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुए निश्चित करेगा –

(क) कोई लागत, जो अधिकृत की हुई भूमि पर निर्धारित किया गया हो;

(ख) सायर की कोई आय, जो ऐसी भूमि से होती हो;

(ग) उन पेड़ों का मूल्य, जो भूमि अधिकृत किए जाने के कारण भूमि से हटाने पड़े हों; और

(घ) कोई क्षति, जो हित रखने वाले व्यक्ति को किसी ऐसी खड़ी फसल अथवा पेड़ों को देने के कारण हुई हो, जो उसके अधिकार करने के समय उस भूमि पर हो;

किन्तु वह ऐसे पेड़ों के मूल्यों पर, जो उपर्युक्त व्यक्ति के अधिकार में बने रहे और जिनका वह उपभोग करता रहे, कोई विचार नहीं करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियत किया गया या उपधारा (2) के अधीन निश्चित किया गया प्रतिकर इस प्रकार दिया जाएगा, जिस प्रकार सम्बन्धित पक्ष निश्चित करने या जैसा प्रतिकर अधिकारी (कम्पेन्सेशन ऑफिसर) आदेश दे।

भूमि का हस्तगत करना

7–– (1) उस दशा में जब धारा 3 के अधीन किसी भूमि या इमारती सामान को अधिकृत किया जाय तो अधिकृत करने वाला अधिकारी (रिक्वीजिशनिंग अथॉरिटी) किसी भी समय ऐसी विधि से, जो उक्त अधिकारी नियत करे, इस आशय का नोटिस प्रकाशित करा कर कि इस धारा के अनुसार उसने हस्तगत करने का निश्चय कर लिया है, हस्तगत कर सकता है।

(2) जब नोटिस, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यथाविधि प्रकाशित हो जाय, अधिकृत की जाने वाली भूमि या इमारती सामान उस दिन के प्रारम्भ से, जब कि नोटिस इस प्रकार प्रकाशित किया गया है, समस्त भारों से मुक्त होकर बिल्कुल {राज्य सरकार}[1] (प्रोविंशियल गवर्नमेन्ट) के अधिकार में रहेंगे और ऐसी भूमि या ऐसे इमारती सामान को अधिकृत करने की अवधि तुरन्त समाप्त हो जाएगी।

(3) अधिकृत करने वाला अधिकारी (रिक्वीजिशनिंग अथॉरिटी) {राज्य सरकार}[2] के साधारण नियंत्रण के अधीन बाढ़–पीड़ित व्यक्ति के लिए और इस प्रकार से, जैसा कि वह उचित समझे, किसी ऐसी भूमि को, जो इस धारा के अनुसार हस्तगत की गई हो, अधिकार में कर सकता है या उसका व्यवहार कर सकता है या उसे किराये पर उठा सकता है, पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है, एक दूसरे से बदल सकता है या अन्य प्रकार के अलग कर सकता है।

प्रतिकर (हानिपूर्ति) का दिया जाना

8–– (1) जब धारा 3 अथवा धारा 7 के अनुसार कोई अधिकृत करने वाला अधिकारी (रिक्वीजिशनिंग अथॉरिटी) किसी इमारती सामान को अधिकृत अथवा हस्तगत, जैसी भी दशा हो, करे तो उसके स्वामी को ऐसा प्रतिकर (हानिपूर्ति) दिया जाएगा, जैसा कि उक्त अधिकारी (अथॉरिटी) निश्चित करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर निश्चय करने के लिए, अधिकृत करने वाला अधिकारी नियंत्रित मूल्य (कन्ट्रोल प्राइस) का या यदि नियंत्रित मूल्य नहीं है तो उसके बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) तथा यातायात (ट्रांसपोर्ट) और संग्रह के व्यय का, जो हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा वास्तव में लगाया गया हो, उचित विचार रखेगा।

हस्तगत भूमि के लिए प्रतिकर का भुगतान ऐक्ट नं0 1, 1894 ई0

9–– (1) जब कोई भूमि धारा 7 के अधीन हस्तगत की जाय तो ऐसे व्यक्ति को, जिसका उसमें हित निहित हो, ऐसी हानिपूर्ति दी जाएगी, जिसकी धनराशि लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 ई0 की धारा 23 की उपधारा (1) के पहले से चौथे वाक्य खण्डों में दिए गए सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिकर अधिकारी (कम्पेन्सेशन ऑफिसर) द्वारा निर्णित की जाएगी :

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा 'संयुक्त प्रान्त' के लिए प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त द्वारा 'प्रान्तीय शासन' के लिए प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, सन् 1894 ई0 की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रथम वाक्य खण्ड में उल्लिखित बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) वह मूल्य समझा जाएगा, जो धारा 7 के अधीन सूचना के प्रकाशित होने के दिनाँक या 01 सितम्बर 1939 ई0 को और यदि इन दोनों में अन्तर हो तो इन दोनों में से, जो भी कम हो, उस भूमि का बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) रहा हो : ऐक्ट नं0 1, वर्ष 1894 ई0

और प्रतिबन्ध यह भी है कि उस दशा में जब कि उक्त भूमि 01 अक्टूबर सन् 1948 ई0 के पूर्व किन्तु 01 अक्टूबर वर्ष 1948 ई0 के पश्चात् किसी पंजीकृत प्रलेख (रजिस्टर्ड डाक्यूमेन्ट) द्वारा किए गए क्रय या उपर्युक्त तिथियों के बीच किसी हकशफा की डिग्री के अधीन उसके स्वामी के अधिपत्य में रही हो तो उसको वही धनराशि के रूप में दिया जाएगा, जो क्रयकर्ता (पर्चेजर) ने वास्तव में चुकाया हो या जिस धनराशि के भुगतान पर उसकी हकशफा की डिग्री में, जैसी भी दशा हो, भूमि हस्तगत हुई हो :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रतिकर की धनराशि निश्चित करते समय प्रतिकर अधिकारी उस किसी ऐसे लाभ हो भी ध्यान में रखेगा, जो (हित रखने वाले व्यक्ति को उनके स्वामित्व में, व्यक्ति को किसी ऐसी अन्य भूमि में या उस पर ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके उपभोग में ऐसी भूमि हो, उस भूमि को त्याग देने के फलस्वरूप प्राप्त हो सकता है या हुआ हो।)

(2) उस दशा में जब उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की धनराशि निश्चित की गई हो तो प्रतिकर अधिकारी लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 ई0 की धारा 11 में दिए हुए सिद्धान्तों के अनुसार, जहाँ तक कि वे इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के विपरीत न हो, निर्णय देगा। ऐक्ट नं0 1, वर्ष 1894 ई0

(3) उस दशा में जब किसी व्यक्ति को, उपधारा (2) के अधीन दिए गए निर्णय से संतोष न हो और वह निर्धारित समय के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के पास निर्णय के लिए भेज देगा, जिसका वहाँ अधिकार–क्षेत्र हो।

(4) लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 ई0 के आदेश, जहाँ तक कि वे इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकूल न हों, उपधारा (3) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास निर्णय के लिए भेजे गए किसी मामले पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज की किसी आज्ञा के विरूद्ध कोई अपील न हो सकेगी। ऐक्ट नं0 1, वर्ष 1894 ई0

माँग करने के सम्बन्ध में मुक्ति

10–– (1) उस दशा में, जब कोई भूमि या इमारती सामान, जो धारा 3 के अधीन अभिकृत किया गया हो, अधिकृत न किया जाय और उसे अधिकृत अवस्थाा से मुक्त करना हो तो अधिकृत करने वाला अधिकारी, ऐसी जाँच पड़ता के बाद, यदि कोई हो, की जाय, जिसे वह आवश्यक समझे, एक लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति को निर्दिष्ट कर देगा, जो उसे ऐसी भूमि अथवा इमारती सामान पर कब्जा पाने का अधिकारी प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई आज्ञा में, उल्लिखित व्यक्ति को किसी ऐसी भूमि या इमारती सामान का कब्जा देने पर {राज्य सरकार}[1] उस भूमि या इमारती सामान पर किसी ऐसे व्यक्ति को कब्जा देने के उत्तरदायित्व से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा, जिसे उस पर कब्जा पाने का न्यायोचित अधिकार हो, किन्तु इस भूमि या इमारती सामान में किसी भी अन्य व्यक्ति के किसी ऐसे अधिकार पर विपरीत प्रभाव न पड़ेगा, जो उसे उस व्यक्ति के विरूद्ध, जिसे उस भूमि या इमारती सामान पर इस प्रकार कब्जा दिया गया है, उचित कानूनी कार्यवाही के आधार पर प्राप्त हो सके।

(3) उस दशा में जबकि वह व्यक्ति, जिसे धारा 3 के अधीन अभिकृत की गई भूमि या इमारती सामान का कब्जा दिया जाता हो, अप्राप्य हो या उसका शीघ्र पता न चल सकता हो या उसका कोई ऐसा अभिकर्ता (एजेन्ट) या दूसरा व्यक्ति नहीं है, जिसे उसकी ओर कब्जा पाने का अधिकार हो तो अधिकृत करने वाला अधिकारी –

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा 'संयुक्त प्रान्त' के लिए प्रतिस्थापित।

(क) यदि जायदाद, उसका कब्जा दिया जाने वाला हो, भूमि है तो शासकीय गजट में सूचना (नोटिस) प्रकाशित कराएगा, जिसमें यह घोषित किया जायेगा कि ऐसी भूमि अधिकृत किए जाने (रिक्वीजीशन) से मुक्त की गई है और यह बात डुग्गी पिटवा कर उस स्थान में घोषित की जाएगी; तथा

(ख) यदि वह इमारती सामान है तो उसे उस ढंग से बेच देगा, जो निर्धारित किया जाये और जो रूपया मिलेगा, उसे खजाने में जमा कर देगा और यह धन तब उसके पाने के अधिकारी को दे दिया जाएगा।

(4) उस दशा में उपधारा (3) के वाक्य खण्ड (क) में उल्लिखित सूचना (Notice) शासकीय गजट में प्रकाशित कर दी जाए तो ऐसी सूचना (Notice) में उल्लिखित भूमि इस प्रकार प्रकाशन की तिथि से अधिकृत अवस्था से मुक्त हो जाएगी और उस भूमि के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह उस व्यक्ति को दे दी गई है, जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था।

(5) उपधारा (2) से (4) तक के अधीन कब्जा दिए जाने या बिक्री होने के उपरान्त प्रान्तीय शासन {राज्य सरकार}[1] सिवाय उस दशा में, जैसा कि उपधारा (3) के वाक्य खण्ड (ख) में दिया गया है या जैसा कि धारा 6 के अधीन किसी दी हुई आज्ञा द्वारा आदेश दिया गया हो, ऐसी भूमि या इमारती सामान के सम्बन्ध में किसी भी क्षतिपूर्ति या अन्य दावों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

धारा 3 और धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञा पर कमिश्नर द्वारा विचार

11—— यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि सम्बन्धित व्यक्ति के साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ है तो कमिश्नर यदि चाहे, ऐसी आज्ञा पर फिर से विचार कर सकता है, जो अधिकृत करने वाला अधिकारी धारा 3 के अधीन या प्रतिकर अधिकारी धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दे।

इस ऐक्ट के अधीन दी गई आज्ञाओं के सम्बन्ध में न्यायालय कोई आपत्ति नहीं करेगा

12—— (1) किसी ऐसी आज्ञा पर, जो इस ऐक्ट द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए दी गई हो, किसी न्यायालय में आपत्ति न की जाएगी, सिवाय उस दशा के, जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में कर दी गयी हो।

ऐक्ट नं0 1, वर्ष 1872 ई0

(2) जहाँ किसी आज्ञा के सम्बन्ध में यह समझा जाए कि उसको किसी अधिकारी (एथॉरिटी) ने इस ऐक्ट के अधीन प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करके दिया है तथा उस पर हस्ताक्षर किया है तो कोई न्यायालय इण्डियन एविडेन्स ऐक्ट, 1872 ई0 के अर्थों में यह मान लेगा कि ऐसी आज्ञा उस अधिकारी ने इसी प्रकार की थी।

इस ऐक्ट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा

13—— (1) कोई वाद (नालिश), अभियोग (मुकदमा) या कोई दूसरी कानूनी कार्यवाही किसी प्रतिकर अधिकारी या अधिकृत करने वाले अधिकारी या किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में न की जाएगी, जो उसने इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाए गए नियम या दी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना में किया हो या जिसके करने का विचार किया हो।

(2) कोई वाद (नालिश) या अन्य कानूनी कार्यवाही {राज्य सरकार}[1] के विरूद्ध ऐसी क्षति के सम्बन्ध में न की जाएगी, जो किसी ऐसी बात के कारण हो जाय या जिसके होने की आशंका हो, जो इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या दी गई आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किया हो या करने का विचार किया हो।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा 'संयुक्त प्रान्तीय' के लिए प्रतिस्थापित।

संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस नं0 10, वर्ष 1948 ई0 तथा ऐक्ट नं0 1, वर्ष 1904 ई0

14–– (1) इस धारा द्वारा यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्वीजिशन ऑफ प्रोपर्टी (फ्लड रिलीफ) आर्डिनेंस, 1948 ई0 खण्डित किया जाता है और यू0पी0 जनरल क्लासेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 और 24 के आदेश इस प्रकार लागू होंगे, मानो कि उक्त आर्डिनेंस ऐसा ऐक्ट था, जो किसी {उत्तर प्रदेश}[2] ऐक्ट द्वारा खण्डित किया गया।

(2) कोई नियुक्ति या आज्ञा या आदेश, जो उक्त आर्डिनेंस के अधीन की गई हो या दिया गया हो या जारी किया गया हो और उसके सम्बन्ध में, जैसी भी दशा हो और जो इस ऐक्ट के आरम्भ के तुरन्त पूर्व लागू हो, लागू रहेंगे और उसके सम्बन्ध में, जैसी भी दशा हो, यह समझा जाएगा कि वह नियुक्त, आज्ञा या आदेश ऐसा है, जो इस ऐक्ट के अधीन की गई है या जारी किया गया है।

नियम बनाने का अधिकार

15–– (1) {राज्य सरकार}[1] इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए {नियम}[3] बना सकती है।

(2) उपर्युक्त अधिकार की सामान्यता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा सकती है –

(क) प्रतिकर अधिकारी तथा अधिकृत करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके कार्यों तथा उनके अधिकार सीमा के सम्बन्ध में;

(ख) प्रतिकर अधिकारी के पास निर्णय के लिए भेजे गए विषयों के संचालन तथा सुनवाई के लिए तथा ऐसे अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्याविधि के सम्बन्ध में;

(ग) सूचनाओं के रूप–पत्र (फार्म) तथा उनके तामील किए जाने के ढंग के सम्बन्ध में।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा 'संयुक्त प्रान्त' के लिए प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त द्वारा 'प्रान्तीय शासन' के लिए प्रतिस्थापित।
3. नियमों के लिए अधिसूचना संख्या 2244/1–5 दिनांक 18 मई, 1949 के गजट भाग 7–अ पृष्ठ 272 देखें।

THE UNITED PROVINCES ACQUISITION OF PROPERTY (FLOOD RELIEF) ACT, 1948[1]

[U. P. ACT No. XXXIX OF 1948]

Amended by the U. P Act No. XXXVI of 1952

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950

[Passed by the United Provinces Legislative Assembly on October 22, 1948 and the United Provinces Legislative Council on November 5, 1948

Received the assent of the Governor on December 9, 1948, under section 75 of the Government of India Act, 1935 as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, and was published in the United Provinces Gazette Extraordinary, dated December 13, 1948.]

AN

ACT

to provide for powers to afford immediate relief to persons in the flood affected areas

Preamble

Whereas [* * *][4] it is necessary [to provide for powers for immediate requisition and acquisition of land for building sites and building materials for relief to the suffers in the flood affected areas];[5]

It is hereby enacted as follows:

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the [Uttar Pradesh][2] Acquisition of Property (Food Relief) [* * *][6] Act, 1948,

(2) It shall apply a Banaras, Ghazipur, Ballia, Moradabad, Bareilly, Budaun, Farrukhabad, Kanpur, Shahjahanpur, Allahabad, Mirzapur, Gorakhpur, Deoria, Basti, Sitapur, Lakhimpur-Kheri, Saharanpur and Unnao Districts of [Uttar Pradesh][2] but the [State Government][3] may, by notification in the Gazette, [extend][8] it to any other area.

(3) It shall come into force at once [* * *][7]

(a) the previous operation of anything duly done or suffered under this Act, or

(b) any right privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under this Act, or

---

1. For statement of objects and reasons see U. P. Gazette extraordinary dated October 16, 1948.
2. Subs. by A. O. 1950 for United Provinces.
3. Subs. by ibid. for 'Provincial Government'
4. Del. by section 2 (a) of U. P. Act No. 36. 1952.
5. Sub. by section 2 (b) ibid.
6. Del. by Sec. 3 (a) ibid:
7. Omitted by section 3 (b) ibid.
8. Further extended to the districts of Banda, Hardoi, Meerut, Azamgarh, Raebareli, Barabanki, Bahraioh,
9. Gonda. Almora, Dehra Dun, Jaunpur and Bijnor Vide Government notifications Nos. 4251 (i)/IS. dated january 31, 1949, l043/IS-49, dated March 24. 1949, 1316 R/IS-100-50 dated September 28, 1950 and 1691/1S- 100-50, dated May 7,1951.

(c) any legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid, and any such legal proceeding or remedy may be instituted continued or enforced as if this Act had not expired.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context---

(a) "Building material" includes pricks, timber, bamboo, earth, lime, cement, iron and steel, and other material required in construction of houses;

(b) "Compensation Officer" and "Requisitioning. Authority" mean the Collector of the district and include an Assistant Collector of the Ist class appointed by the Collector provided that the same officer shall not be the Requisitioning Authority and Compensation Officer respect of the same case ;

(c) "Landholder", "Tenant" "Rent" and "Sayar" have the meaning respectively assigned to them in the United Provinces Tenancy Act, 1939;

(d) "Person interested" includes all persons claiming an interest in compensation to be made on account of the requisition or acquisition of land under this Act; and a person shall be deemed to be interested in the land if he is interested in an easement affecting the land :

Provided that in the case of building materials person interested shall mean the owner of such building materials;

(e) ["State Government"][1] means [the Government of Uttar Pradesh][2] ; and

(f) "Public purpose" means provision of village sites or repair or construction of houses for persons affected by floods.

Procedure of requisition

3. If in the opinion of the Requisitioning Authority it is necessary or expedient so to do for a public purpose, it may, by order, requisition any land or building material by serving on the owner and the person in possession thereof and, when the other or person in possession thereof is not readily traceable, or the ownership or the right to possession of the land or building material is in dispute or owing to, the number of persons entitled to the ownership or to the possession thereof, it is not reasonably convenient to serve everyone of them separately, by publishing in such manner as may be specified-in that behalf, a notice stating that the Requisitioning Authority has decided to requisition such land or building material in pursuance of this section, and may make such further orders including orders relating to the disposal, possession and enjoyment, of any trees and, other crops of any person standing on such land, as appear to it to be necessary or expedient in connection With the requisitioning.

---

1. Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government).
2. Subs. by ibid for the United Provinces.

Use of requisitioned land

4. Where any land or building material has been requisitioned under section 3, the Requisitioning Authority may use it in such manner as may appear to it to be expedient for any public purpose.

Powers of the Requisitionin g Authority

5. (1) The Requisitioning Authority may, with a view to requisitioning any land or building material under section 3 or determining the compensation therefor by order-

(a) require any person to furnish to such authority as may specified in the order such information in 'his possession biting to the property as may be specified; and

(b) direct that the owner or person in possession of the land or building material shall, not without the permission of the authority making the, order dispose of it till the expiry of such period as may be specified in the order.

(2) Without, prejudice to the powers conferred by sub-section (1) any person or authority appointed in this behalf by he Requisitioning Authority may enter any land and inspect it for the purpose of determining, whether, and if so in what manner, an order under section 3 should be made in relation to such land or building material or with a view to securing compliance with any order made under section 3.

Payment of compensation

6. (1) Where any land is requisitioned under section 3 there shall be paid to every person interested such compensation as may be agreed upon in writing between such person and the Requisitioning Authority in respect of-

(a) the requisitioning of such land; and

(b) any damage done during the period of requisitioning such land other than that which may have been sustained by natural causes.

(2) Where no such agreement can be, reached, the Requisitioning Authority shall refer the matter with his recommendations as to the amount of compensation therefore to the Compensation Officer and shall direct the person claiming compensation to appear before such officer on such date as may be specified and the Compensation Officer shall, on the date fixed in that behalf or on any other date to which the hearing may be postponed, hear such person and after such further inquiry as he may deem fit determine the amount of compensation which shall except as provided in section 11, be final and, conclusive.

(3) The Compensation Office shall in fixing the amount of compensation have regard to-

(a) the rent if any, assessed on the land which has been requisitioned ;

(b) the sayar income, if any, derived from the land;

(c) the value of any trees which as a result of the requisition have to be removed from the land;

(d) the damage sustained by the person interested by reason of the taking of any standing crops or trees which may be on the land at the time of' taking possession thereof;

but he shall not take into consideration the value of trees, which may continue to be possessed enjoyed by the person entitled thereto.

(4) The compensation fixed under sub-section (1) or determined under sub-section (2) shall be paid in such manner as the parties may agree or as the case may be the Compensation Officer may direct.

Acquisition of land

7. (1) Where any land or building, material has been requisitioned under section 3, the Requisitioning Authority may at any time, acquire it by publishing in such manner as the said Authority may specify a notice to the effect that it has decided to acquire it in pursuance of this section.

(2) Where a notice as aforesaid is duly published, the requisitioned land or building material shall, from the beginning of the day on which the notice is so published, vest absolutely in the [State Government][1] free from all encumbrances and the period of requisitioning of such land or building material shall end forthwith.

(3) The Requisitioning Authority may, subject to the general control of the [State Government][2] retain or utilize, or let on hire, lease, sell, exchange or otherwise dispose of, any land acquired in pursuance of this section to any person affected by floods and in such manner as it may deem proper.

Compensation to the owner

8. (1) Whenever in pursuance of section 3 or section 7 a Requisitioning Authority requisitions or acquires as the case may be, any building material the owner thereof shall be paid such compensation as the said Authority may determine.

(2) In determining the amount of compensation under sub-section (1), the Requisitioning Authority shall have regard to the control price, or if there is no control price, to the market value thereof and to cost of transport and storage actually incurred by the person interested.

Act No.1 of 1894 Payment of compensation for acquisitioned land

9. (1) Whenever any land is acquired under section 7 there shall be paid to the person interested compensation, the amount of which shall be determined by the Compensation Officer in accordance with the principles set out in Clauses first to fourth of sub-section (1) of section 23 of the Land Acquisition Act, 1894 :

---

1. Sub. by the A.O. 1950 for (Provincial Government) .
2. Subs. by ibid. for (Provincial Government).

Act I of 1894

Provided that the market value referred to in clause first of sub-section (1), of section 23 of the Land Acquisition Act, 1894 shall be deemed to be the market-value of such land on the date of publication of the notice under section 7 or on the first day of September, 1939, which ever is less:

Provided further that, where such land has been held by the owner thereof under a purchase made before the first day of October, 1948,but after the first day of September 1939, by a registered document or decree for pre-emption between the aforesaid dates, the compensation shall be the price actually paid by the purchaser or the amount of payment on which he may have acquired the land in the decree for pre-emption as the case may be:

Provided further that, in determining the amount of compensation, the compensation officer shall also take into consideration any benefit which may accrue or have accrued to the person interested in or over any other land belonging to such person on account of the abandonment of such other land by any person in occupation thereof.

Act 1 of 1894

(2) When the compensation has been determined under sub-section (1) the compensation officer shall make an award in accordance with the principles, in so far as they are not inconsistent with this Act or any rule made thereunder, set out in section 11 of the Land Acquisition Act, 1894.

(3) When any person aggrieved by an award made under sub section (2) makes an application within the period prescribed requiring the matter to be referred to the District Judge the compensation officer shall refer it to the decision of the District Judge having jurisdiction.

Act 1 of 1894

(4) The provisions of the Land Acquisition Act, 1894, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply in respect of any reference made to the District, Judge under sub-section (3), except that no appeal shall lie from any order passed by such District judge.

Release from requisition

10. (1) Where any Land or building material requisition under section 3 is to be released from requisition the Requisitioning Authority may, after making such inquiry, if any, as it considers necessary, specify by order in writing the person who appears to it to be entitled to the possession of such land or building material.

(2) The delivery of possession of such land or building material to the, person named in the order made under sub-section (1) shall be full discharge of any liability of the [State Government][1] to deliver possession to such person as may have rightful claim to possession there of but shall not prejudice any right in respect of such land or building material which any other person may by due process of law, be entitled to enforce against the person to whom possession is so delivered.

(3) Where the person to whom possession of any-land or building material requisitioned under section 3 is to be delivered cannot be found or is not readily traceable or has no agent or other person empowered to accept delivery on his behalf, the Requisitioning authority-

1. Subs. by A. O. 1950 for (Provincial Government).

(a) if the property to be delivered is land, shall publish in the official Gazette a
(b) notice declaring, that such land is released from requisitioning rand the fact will be notified by beat of drums in the locality; and

(b) If it is building material may sell the same in such manner as may be prescribed and deposit the proceeds in the treasury, which shall there be payable to the person entitled thereto.

(4) When a notice referred to in clause (a) of sub-section (3) is published in the official Gazette, the land specified in such notice shall cease to be subject to requisitioning onward from the date of such publication and shall be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof.

(5) Upon delivery of possession or sale made under sub-sections (2) to (4), the (State Government) shall save as provided in clause (b) of sub-section (3) or as may be directed by any order made under section 6, not be liable for any compensation or other claims in respect of such land or building material.

Commissioner may review order passed under sub-section (2) of section 6 and section 3

11. The Commissioner may review any order passed by the Requisitioning Authority under section 3 or by the Compensation Officer under sub-section (2) of section 6, if he is satisfied that grave injustice has been done to the person interested.

Court not to any orders passed under this Act
Act I of 1872

12. (1) No order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court except as provided in this Act.

(2) Where an order purport to have been made and signed by any authority in exercise of any powers conferred under this Act, a court shall within the meaning of Indian Evidence Act 1872, presume that such order was so made by that Authority.

Protection of persons acting under this Act

13. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Compensation officer or the Requisitioning Authority or any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act, or any rule made or order issued thereunder.

(2) No suit for other legal proceeding shall lie against the [State Government][1] for any damage caused or likely to be caused by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or, order made thereunder.

1.Subs. by A. O. 1950 for (Provincial Government).

Act I of 1904 Repeal

14. (1) The United Provinces Acquisition of Property (Flood Relief) Ordinance, 1948, is hereby repealed and the provisions of sections 6 and 24 of the United Provinces General Clauses Act, 1904, shall apply to it as if it has been an Act repealed by an [Uttar Pradesh][2] Act.

(2) Any appointment or order made or direction issued under the said Ordinance and in force immediately before the commencement of this Act shall continue in force and be deemed to be an appointment, order or direction made or issued, as the case may be, under this Act.

Rule making power

15. (1) [State Government][1] may make [rule][3] for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for----

(a) the appointment, functions and jurisdiction of Compensation officers and Requisitioning Authorities;

(b) the conduct and hearing of references that may be made to compensation officer and the procedure to be followed by such officer;

(c) the form of notices to be given and the mode of their service.

---

1. Subs. by the A. O. 1950 for 'Provincial Government'.
2. Subs. ibid for 'United Provinces'.
3. For rules see notification no. 2244/1-S, d. May 18, 1949, in Gaz. Pt. I-A: p. 272.